अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

राजस्व अपील वाद संख्याः 222/2012

कामेश्वर कारक एवं अन्य – अपीलार्थीगण

वनाम

चिन्तामणि राउत – रेसपाण्डेन्ट

–: आदेश :–

11.7.14

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, निर्मली के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 26.05.2012 ई0 अंदर वाद संख्या– 68/11–12 के द्वारा रेसपाण्डेन्ट के विरूद्ध दाखिल किया गया है। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी विपक्षी थे वो रेसपाण्डेन्ट्स वादीगण थे।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपील वाद में विवादी भूमि अन्दर मौजा– कुनौली, थाना कुनौली, जिला– सुपौल का खाता 25 पुराना 385 नया, खेसरा 1946 पुराना 3390 नया, रकबा 30 डी0 विवादी भूमि है।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि स्व० रवि राउत ने मौजाः कुनौली अंतर्गत पुराना खेसरा संख्याः 1946 एवं आर०एस० खेसरा संख्याः 3390 रकवाः 0.48 डी० की प्रश्नगत भूमि अपनी पुत्री सीता देवी को उनके विवाह में दहेज के रूप में खोईछा में दे दी जिस पर वो वर्ष 2010 तक दखल में रही वो अपीलार्थी संख्याः 2 सीता देवी को रूपयों की आवश्यकता हुई इसलिए उन्होनें अपने भाई श्री चिन्तामणि राउत से सलाह वो अनुमति लेकर प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी संख्याः 1 (कामेश्वर कारक) को निबंधित केबाला दस्तावेज संख्याः 6716 द्वारा दिनांकः 28.12.2010 को बिक्री कर दिया वो उन्हें खेतीहर दखल में दे दिया, इसके विरूद्ध चिन्तामणि राउत ने कामेश्वर कारक के खिलाफ एल० आर० डी० सी० निर्मली के समक्ष बी०एल०डी०आर० वाद संख्याः 68/11–12 दाखिल किया। अपने बहस के कम में आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी संख्याः 2 सीता देवी को निम्न न्यायालय द्वारा नोटिश नहीं किया गया और ना ही उन्हें निम्न न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु कोई मौका दिया गया वो अपीलार्थी संख्या–2 को सुने बिना ही वाद का निर्णय रेस्पोण्डेन्ट/वादी के पक्ष में कर दिया गया। रेसपोण्डेन्ट चिन्तामणि राउत ने जब जानबूझकर अपनी बहन सीता देवी को बी०एल०डी०आर० वाद संख्याः 68/11–12 में उत्कंठा से ग्रसित होकर पक्षकार बनाया गया ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय को यह चाहिए था की अपीलार्थी संख्याः 2 सीता देवी को निम्न न्यायालय द्वारा उचित नोटिश निर्गत करते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करें, नोटिश निर्गत न किया जाना वो अपीलार्थी संख्याः 2 सीता देवी को कोई अवसर न दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण रूपेण उल्लंघन है। इस न्यायालय में दाखिल लिखित जवाब के कंडिका–7 में प्रतिवादी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी संख्या–2 को नोटिश किया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि वे लापता थी। यह कथन गलत प्रयोजन से प्रेरित

है। वस्तुतः वह अपनी ससुराल छातापुर (चुन्नी कटही) में रह रही थी।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि जैसा की प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थी संख्याः 2 सीता देवी द्वारा अपीलार्थी संख्याः 1 श्री कामेश्वर कारक को बिक्री किया गया था वह स्त्री धन के रूप में मात्र सीता देवी के स्वत्व वो दखल में थी। इसलिए न्याय के हित में तथा अपक्षपाती निर्णय हेतु वाद भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, निर्मली को उन्हें निम्न न्यायालय द्वारा नोटिश करते हुए अपना पक्ष वो दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के निदेश के साथ रिमांड किए जाने के लिए पूर्णतः उपयुक्त हैं बतलाते है।

रेसपाण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अपील आवेदन के पेज नं0 5 पारा नं0 3 के 7 वें पंक्ति में अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी नं0 2 सीता देवी को उनके पिता स्व0 रवि राउत ने सीता देवी के विवाह के अवसर पर विवादी जमीन "खोइछा" में दहेज के रूप में दिया था इसलिए सीता देवी ने विवादी जमीन अपीलार्थी कामे वर कारक को केवाला नं0 6716 दिनांक 28.12.2010 ई0 के द्वारा बेच दिया और वे हकदार एवं दखलकार चले आ रहे हैं। रेसपाण्डेन्ट्स/वादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि चिंतामणि राउत प्रतिवादी को उपरोक्त केवाला को चुनौती देने का कोई कानूनी हक नहीं है इसलिए डी0 सी0 एल0 आर0 के द्वारा पारित आदेश अवैध है जिसे विखंडित किया जाय। वस्तुतः जमीन का जुबानी (खोईछा) हस्तानान्तरण अर्थहीन है।

रेसपाण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं चिंतामणि राउत प्रतिवादी का दावा है कि विवादी जमीन उनके दादा नथुनी राउत (सुरी) के नाम से पुराना सर्वे खतियान सन् 1902–03 ई0 में अंकित है वो नथुनी राउत के मरने के बाद उनका लड़का रवि राउत विवादी जमीन के साथ अन्य जमीन पर हकदार एवं दखलकार रहते आये और उनके मरने के बाद (स्व0 रवि राउत के) उनके लड़के चिंतामणि राउत प्रतिवादी एवं उनके भाई परमेश्वर राउत हकदार एवं दखलकार हुए एवं रहते आये जो लिखित बहस के पेज 3 पर दर्ज बं ावली से सावित होता है।

रेसपाण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रवि राउत के मरने के बाद प्रतिवादी तथा उनके भाई परमेश्वर राउत ने अपनी बहनों का विवाह उनके पतियों से किया और उनकी विदागरी के समय औकात के मुताबिक उपहार भी दिया और सभी बहनें अपने–2 ससुराल में रहती आ रही है उन बहनों ने अपने पिता की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं लिया। *जमीन का हस्तान्तरण बिना किसी निबंधित दस्तावेज के नहीं किया जा सकता है वो जमीन का जुबानी हस्तानान्तरण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।*

रेसपाण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि हाल रिविजनल सर्वे में विवादी जमीन के साथ अन्य जमीन का नया खाता नं0 385 उपरोक्त नथुनी राउत (सुरी) के नाम से अंकित हुआ और सर्वे खतियान भी उनके नाम से बिना किसी आपत्ति के सन् 1984 ई0 में प्रकाशित हुआ है। प्रतिवादी के खानदान की कुल मरौसी एवं खरीदगी 11 बी0 2 क0 14 धूर जमीन जायदाद का आपुसी पंचनामा बंटवारा सन् 2010 ई0 में प्रतिवादी चिंतामणि राउत एवं उनके भाई परमेस्वर राऊत के बीच में हुआ जिसमें विवादी जमीन नया खेसरा नं0 3390 रकबा 7 कट्ठा 11 धूर 48 डिसमल अंदर नया खाता नं0 385 के साथ अन्य जमीन कुल रकबा 5 बी0 11 कट्ठा 14 धूर प्रतिवादी के हिस्सा एवं दखल में आयी और बांकी 5 बीघा 11 कट्ठा 13.5 धूर परमेश्वर राउत के हिस्सा एवं दखल में आयी और पंचनामा बंटवारा कागज पर सभी फरीकेन एवं पंचों ने अपना हस्ताक्षर किया। बँटवारा के मुताबिक प्रतिवादी एवं उनका भाई बंटवारा की गयी जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं और जोत आबाद कर फसल भोग कर रहे हैं।

रेस्पाण्डेन्ट/वादी बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि आपुसी बंटवारा के आधार पर प्रतिवादी के नाम से मुटेसन केस नं0 1759/2010–11 में में अंचल अधिकारी निर्मली के आदेश दिनांक 15.02.11/05.02.11 से जमाबंदी नं0 4031 के अंदर मालगुजारी रसीद वर्ष 2014–15 ई0 तक प्रतिवादी को हासिल है जिसके खिलाफ अपीलार्थी नं02 सीता देवी ने कोई आपत्ति या अपील दाखिल नहीं किया।

रेस्पाण्डेन्ट/वादी बहस के कम मे आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी ने अपनी जायज जरूरत के लिए विवादी जमीन को अपीलार्थी कामेश्वर कारक को 35000/– रू0 में सूदभरना के रूप में दिया जिसे प्रतिवादी सुद सहित मो0 46000/– रू0 अपीलार्थी कामेश्वर कारक को अदाय कर विवादी जमीन वापस ले लिया और पहले की तरह प्रतिवादी विवादी जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं तथा जोत आबाद कर फसल भोग तसरूफ करते आ रहे हैं।

रेस्पाण्डेन्ट/वादी बहस के कम मे आगे यह भी कथन करते हैं कि ग्राम पंचायत कुनौली के मुखिया श्री वाशिद अहमद ने शपथ–पत्र दिनांक 20.04.12 ई0 तामिल

किया है जिसमें प्रतिवादी के द्वारा विवादी जमीन अपीलार्थी कामेश्वर कारक को सूद भरना के रूप में देने तथा सूद सहित मो0 46000/– रू0 उनके अदाय कर विवादी जमीन वापस लेने की बात तथा आपुसी बँटवारा के मुताबिक विवादी जमीन पर प्रतिवादी चिंतामणि का दखल को प्रमाणित किया है वो मुखिया ने शपथ पत्र में यह भी बयान किये है कि अपीलार्थी कामेश्वर कारक सीता देवी से नाजायज केवाला लिखाकर नाजायज रूप से दखल करने की कोशिश कर रहे हैं एवं प्रतिवादी की बहन सीता देवी को हिस्सा में मिलने की बात को झूठा पाये हैं। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी नं0 1 कामेश्वर कारक दिनांक 04.12.11 ई0 को प्रतिवादी को विवादी जमीन से बेदखल करने आये कि उनके सीता देवी अपीलार्थी नं0 2 से केवाला है तब प्रतिवादी ने भूमि विवाद केस नं0 68/11 डी0 सी0 एल0 आर0 निर्मली के न्यायालय में दाखिल किया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई कर तथा उनके कागजात सबूत का अवलोकन कर आदेश दिनांक 26.05.11 ई0 पारित किये जो बिल्कुल बैध एवं सही है जिसे सम्पुष्ट किया जाना न्यायहित में तथा कानूनन जरूरी है बतलाते हैं।

रेसपाण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में हाल रिविजनल सर्वे खतियान नाम से नथुनी राउत पिता ठाकुर राउत, दाखिल खारिज वाद संख्या 1759/2010–11 सह नामान्तरण वाद के वजाप्ता , ग्राम पंचायत कुनौली के मुखया वाशिद अहमद के शपथ पत्र 20.04.12, बिहार सरकार के मालगुजारी रसीद वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15, निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 का, डी0 सी0 एल0 आर0, निर्मली का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 116 दिनांक 03.05.2013 की छाया प्रति दाखिल किये हैं।

श्री चिन्तामणि राउत पिता स्व0 रवि राउत द्वारा दिए गये आवेदन पत्र पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली द्वारा उनके पत्रांक 116 सपत्र दिनांक 23.05.13 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है उसमें उल्लेखित किया गया है कि *" विवादित जमीन के साथ साथ अन्य भूमि की जमाबंदी 4031 आवेदक एवं उनके भाई की पैतृक सम्पति है दोनों भाईयों के बीच आपसी बंटवारा के उपरांत विवादित जमीन आवेदक के नाम जमाबंदी संचालित है। आगे यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी ने विवादित जमीन को प्रतिवादी के विकेता श्रीमती सीता देवी को हिस्सा में मिलने की बात कहा तो दूसरी तरफ प्रतिवादी विवादित जमीन को दान पत्र द्वारा प्राप्त होना बताये दोनों बाते स्वतः विरोधाभासी है। जब प्रतिवादी आवेदक से सूदभरना में लिए गये जमीन से इनकार नहीं करते हैं तो फिर आवेदक की अधिकारिता वाली भूमि को वर्शो पूर्व ब्याही एक मात्र बहन से निबंधन कराने की आव यकता क्यों हुई वैसे भी पैतृक जयदाद में बहनों द्वारा नियमानुकूल प्राप्त हिस्से के बाद ही स्वतंत्र अधिकारिता से जमीन की बिक्री की जा सकती है। सम्मिलित जायदाद से किसी खेसरा विशेष जिसकी अधिकारिता तथा जमाबंदी आवेदक के पास है उसे एक मात्र बहन द्वारा बिक्री कर दिया जाना विवाद का सृजन मात्र है। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन आवेदक के पैतृक जयदाद के साथ –साथ उनके अधिकारिता की सम्पत्ति है।"* बहस के दौरान स्पष्ट हुआ कि चिन्तामणी राऊत दो भाई एवं चार बहन थे, जिसमें एक सीता देवी भी थी तथा बहन शादी के बाद अपने–अपने ससुराल रहने लगे।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के परिशीलनोपरांत यह प्रतीत होता है कि विवादित जमीन का खतियान नथुनी राऊत के नाम से वर्ष 1984 में प्रकाशित हुआ। जिसके विरूद्ध सीता देवी, अपीलार्थी (2) कभी कोई केश नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर उनका कोई दावा नहीं है। बहस के दौरान खतियान की प्रति दिखाया गया। वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए चिन्तामणी राऊत को प्रश्नगत भूमि जमाबंदी 4031 के साथ हकदार मानते हुए अंचल नजारत निर्मली में गत खरीफ फसल की राशि (सुरक्षित) मो0 1950 (एक हजार नौ सौ पचास) रूपये वापसी का भी आदेश देते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

इसकी प्रति अंचल अधिकारी, निर्मली को भी दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा